कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत

Email-dfo_chamawat_uta@yahoo.co.in

पत्रांक 2412/12-1 दिनांक, चम्पावत 24-01-2020

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः– चम्पावत में मंच –बकोड़ा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.9208 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग का प्रत्यावर्तन PF/UK/others/12159/2015.

संदर्भः– आनलाईन आपित्ति का दिनांक 10 अक्टूबर 2019.

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके संदर्भित आपत्ति के कम में प्रस्तावक विभाग से प्राप्त आख्या के आधार वांछित सूचना प्रस्ताव विभाग के कार्यालय का पत्रांक 1501/2 सी0 दिनांक 11.11.2020 से निराकरण हेतु पत्र छायाप्रति संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु उच्च स्तर को प्रेषित करने की कृपा करे।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,चम्पावत

☎ & Fax No. 05965&230034
E-Mail : eechampawat@rediffmail.com E-Mail : eechampawat@gmail.com

पत्रांक :– 1501/12 सी0 दिनांक :– 11/11/2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन सरक्षण इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद चम्पावत में मंच–बकोड़ा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.9208हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– आपका पत्रॉक 980/PF/UK/Road/12159/2015 वन दि0 10 अक्टूबर 2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में जनपद चम्पावत में मंच–बकोडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.9208 हे0 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राजस्व विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल हरतोला सिविल–15.00 हे0 उपलब्ध कराया गया था, जो कि मार्ग में प्रभावित होने वाली आरक्षित वन भूमि–3.920हे0 सिविल–1.365 वन पंचायत–2.100 हे0 कुल–7.385 हे0के आधार पर वन भूमि प्रस्ताव ऑनलाईन किये गये थे,तत्कालीन समय में मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल में लिये जाने वावत कोई जानकारी उपलब्ध नही थी, जो कि वन भूमि प्रस्ताव उक्तानुसार ऑनलाईन कर दिये गये थे वाद में आपके कार्यालय द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में उक्त प्रस्ताव विड्राल कर पुनः उसमें मलवा निस्तारण स्थल को जोडा गया जिस कारण पूर्व में प्रस्तावित स्थल का क्षेत्रफल कम हो गया साथ ही वन संरक्षक अल्मोड़ा के EDS के दि022–3–2016 में 15 हे0 के स्थान पर 15.8416हे0 की आपत्ति प्राप्त हुई,राजस्व विभाग द्वारा 3 मार्गो हेतु संयुक्त रूप से जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपलब्ध कराया गया था उसमें बसौटी–रौकुंवर मार्ग भी था,जिसके 10.00 हे0 में DSS जॉचोपरान्त 1हे0 घना वन तथा 4.00हे0मध्यम वन कुल–5.00 हे0वृक्ष होने के कारण आपत्तियों में प्राप्त हुआ था जिससे स्थल एकमुश्त (एक साथ) होने एवं मलवा निस्तारण योजना प्रस्ताव में सम्मिलित करने उपरान्त पर्याप्त स्थल न होने तथा स्थल में वृक्ष होने के कारण राजस्व विभाग से वृक्ष विहीन पर्याप्त क्षतिपूरक स्थल उपलब्ध कराने वावत लगातार पत्राचार किया जाता रहा ताकि मार्ग में लगी आपत्तियो का निराकरण किया जा सके जो कि जनपद चम्पावत में वृक्ष विहीन क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपलब्ध न होने के कारण समय पर आपत्तियों का निराकरण नही हो पाया,उक्त स्थिति को मध्य नजर रखते हुए प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग चम्पावत के पत्रॉक–520/12–1दि0 14–8–2018द्वारा अवनत वन भूमि डुगराबाकूँ में 70.00 हे0 उपलब्ध कराने पश्चात स्थल के मानचित आदि प्राप्त करते हुए वन भूमि प्रस्ताव में लगी आपत्तियों का निराकरण कर पाना सम्भव हुआ।उक्त से सम्बन्धित पत्रों की छाया प्रतियॉ सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है,खण्ड द्वारा भारत सरकार के पत्र दि0 7–8–2019 का विन्दुवार निराकरण निम्नवत किया गया हैः–

विन्दु सं0–1–भारत सरकार के EDS में विलम्ब का कारण उक्त वृक्ष विहीन क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की अनुपलब्धता रही हो जो कि अवनत वन भूमि उपलब्ध होने उपरान्त दि0–14–10–2018 को निराकरण कर पाना सम्भव हुआ।

विन्दु सं0–2– एन0पी0वी0का प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से निर्धारित की पुनः आनलाईन करते हुए हार्ड प्रति 3–3 प्रतियों में इस कार्यालय के पत्रॉक–1517/2सी0दि0 4–10–2018द्वारा पूर्व में ही आपको प्रेषित कर दी गई है।

विन्दु सं0–3 मार्ग में प्रभावित होने वाली संशोधित वृक्षों की सूची आनलाईन करते हुए हार्ड प्रति 3–3 प्रतियों में इस कार्यालय के पत्रॉक–1517/2सी0दि0 4–10–2018द्वारा पूर्व में ही आपको प्रेषित कर दी गई है।

संO–4 ग्राम–मंच एवं स्यूतोला एक ही ग्रामसभा होने का ग्राम प्रधान का प्रमाण–पत्र आनलाईन
रते हुए हार्ड प्रति 3–3 प्रतियों में इस कार्यालय के पत्रॉक–1290 / 2सी0दि0 19–9–2019द्वारा पूर्व में
ही आपको प्रेषित कर दी गई है।
विन्दु सं0–1 ग्राम मंच,स्यूतोला,एवं वकोड़ा मार्ग की के0एम0एल0में लाभान्वित-होने वाले ग्राम पूर्व से ही
डिजिटल मानचित्र में अकित है जो कि मूल प्रस्ताव के 1.4 में चस्पा किया गया है।

अतः उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि विन्दु सं–2,3,4,5
उपरोक्तानुसार 3–3 प्रति में हार्ड प्रतियॉ आपको पूर्व में ही प्रेषित कर दी गई है,विन्दु सं0 1 से संबंधित
प्रपत्र पुनः संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे है अनुरोध है कि प्रस्ताव को अग्रसारित करने की कृपा करें

भवदीय,

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
चम्पावत।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि.0वि0
चम्पावत।

UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत

& Fax No. 05965–230034
E-Mail : eechampawat@gmail.com
E-Mail : eepdchmp.pwduk@gov.in

दिनांक :– ...... / 10 / 2018

पत्रांक :– .... /

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरा नगर
फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून (उत्तराखण्ड)

विषय :– राज्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मंच–बकोड़ा तक मोटर मार्ग का निर्माण। प्रस्ताव संख्या–एफ0पी0 / यू0के0 / रोड / 12159 / 2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक जनपद चम्पावत में राज्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मंच–बकोड़ा तक मोटर मार्ग का निर्माण प्रस्ताव संख्या–एफ0पी0 / यू0के0 / रोड / 12159 / 2015 के वन भूमि प्रस्ताव आनलाईन के पश्चात प्रस्तावों में ऑनलाईन लगी आपत्तियों का निराकरण विन्दुवार निम्नवत करते हुए आपत्तियॉ निराकरण की 3–3 हार्ड प्रति अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

विन्दु सं0–1–200–300मीटर में जी0पी0एस0 अंकित जियोरेफेन्स मानचित्र 3–3 प्रतियों में संलग्न है।
विन्दु सं0–2क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना अवगनत वन भूमि डुगराबोरा में चयनित कर 3–3 प्रतियों में संलग्न है।
विन्दु सं0–3एन0पी0वी0 संशोधित करते हुए 3–3 प्रतियों में संलग्न है।
विन्दु सं0–4लागत लाभ प्रपत्र 3–3 प्रतियों में संलग्न
विन्दु सं0–5क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना अवगनत वन भूमि डुगराबोरा में चयनित कर 3–3 प्रतियों में संलग्न है।
विन्दु सं0–6पूर्व निर्मित चम्पावत–मंच–तामली मोटर मार्ग का शासनादेश 3–3 प्रतियों में संलग्न है।
विन्दु सं0–7पुनः गणना की गई वृक्षों की सूची 3–3 प्रतियों में संलग्न है।
विन्दु सं0–8 प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय द्वारा पार्ट–11 में अंकित होना है।
विन्दु सं0–9पार्ट–1,2,3,4,व53–3 प्रतियों में संलग्न है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(इं0 डी0डी0 भट्ट)
अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0,लो0नि0वि0
चम्पावत

दिनांक :– 04 / 10 / 2018

पत्रांक :– 1517 /02 लो.

प्रतिलिपि अधीक्षण अधीक्षण अभियन्ता,सिविल वृत लो0नि0वि0 चम्पावत को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि जिलाधिकारी चम्पावत को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत को सूंचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि वन भूमि पत्रावली हेतु।

(इं0 डी0डी0 भट्ट)
अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0,लो0नि0वि0
चम्पावत

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत,

Email-dfo_chamawat_uta@yahoo.co.in

पत्रांक   दिनांक, चम्पावत 14-8- 2018।

सेवा में,

वन क्षेत्राधिकारी,
लोहाघाट।

विषयः— क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अवनत वन भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध मे।

संदर्भः— अधिशाषी अभियंता, प्रा0ख0, लो0नि0वि0,चम्पावत का पत्रांक 1118/2सी दि0 24.07.2018।

महोदय,

उक्त संदर्भित पत्र के कम मे अवगत कराना है कि लो0नि0वि0 चम्पावत को विभिन्न वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणो के सापेक्ष अवनत वन भूमि मे क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना की आवश्यकता है। अतः आप अपने क्षेत्रान्तर्गत कुल 70.00 हे0 अवनत वन भूमि चिन्हित कर क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना सम्बन्धित विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

भवदीय

(कुबेर सिह बिष्ट)
प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग,चम्पावत।

पत्रांक 520 / 12-1 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि अधिशाषी अभियन्ता, प्रा0ख0,, लो0नि0वि0 चम्पावत को उनके उक्त संदर्भित पत्र के कम मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कुबेर सिह बिष्ट)
प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग,चम्पावत।

छायाप्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
चम्पावत (उत्तराखण्ड)

2

UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत

☎ & Fax No. 05965–230034
E-Mail : eechampawat@gmail.com
E-Mail : eechampawat@rediffmail.com

दिनांक :– ....../10 /2016

पत्रांक :–................/

सेवा में,

उपजिलाधिकारी,
चम्पावत।

विषय :– खण्ड द्वारा ऑनलाईन किए गये वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों हेतु वृक्ष विहीन सिविल भूमि की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

संदर्भ:– इस कार्यालय का पत्रांक – 1453/2 सी० दिनांक 19/08/2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक जनपद चम्पावत में स्वीकृत विभिन्न मोटर मार्गों हेतु आपके पत्रांक– विविध–क्षतिपूरक वृक्षारोपण/2014 दिनांक 08/12/2014 एवं पत्रांक–विविध–क्षतिपूरक/2014 दिनांक 15/12/2014 एवं लैण्ड बैंक में उपलब्ध सिविल क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल चयनित कर वनभूमि प्रस्ताव ऑनलाईन किए गये थे जो कि भारत सरकार एवं नोडल अधिकारी देहरादून द्वारा घने वन एवं हल्के घने जंगल के कारण निरस्त करते हुए नवीनतम वृक्ष विहीन स्थल के डिजिटल मानचित्र उपलब्ध करने के निर्देश प्राप्त हुए है। ऑनलाईन किए गये मार्गों एवं सिविल क्षतिपूरक स्थल की आवश्यकता निम्नवत् है।

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	प्रभावित वनभूमि (हेक्टे0)	सिविल क्षतिपूरक स्थल की आवश्यक्ता (हेक्टे0)
1	राज्य योजना के अन्तर्गत मंच–बकोड़ा मोटर मार्ग लम्बाई 12.000 कि0मी0	7.9208	16.000
2	अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत चम्पावत–मंच–तामली मोटर मार्ग के कि0मी0 47.000 से न्याय पंचायत सीमियाउरी मोटर मार्ग लम्बाई 8.000 कि0मी0	4.9090	10.000
3	मा0 मुख्यमंत्री संयोजकता के अन्तर्गत बसौटी–शैकुंवर मोटर मार्ग लम्बाई 8.0000 कि0मी0	5.2975	11.000
4	जनपद चम्पावत के विकासखण्ड चम्पावत के अन्तर्गत बिरमोला–रायल मोटर मार्ग लम्बाई 4.000 कि0मी0	2.643	6.000
5	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत मिट्टीखाल–सुरईखाल मोटर मार्ग लम्बाई 10.000 कि0मी0	7.075	15.000
6	बिनवाल गॉव–कलियाधूरा–छीड़ाखान मोटर मार्ग लम्बाई 16.500 कि0मी0	11.035	23.000
		कुल योग	81.000

अतः अनुरोध है कि जनपद में उक्त मार्गों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वृक्ष विहीन स्थल उपलब्ध करवाने का कष्ट करें ताकि वन विभाग से स्थल सत्यापन उपरान्त आई0टी0 सेल से मानचित्र प्राप्त कर आपत्तियों का निराकरण किया जा सके।

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0,लो0नि0वि0,चम्पावत।

दिनांक :– 05/10/2016

पत्रांक :– 1743/2 सी0

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियंता, सिविल वृत्त, लो0नि0वि0, चम्पावत को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय चम्पावत को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि वनभूमि पत्रावली हेतु।

फोटो प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
प्रा0ख0,लो0नि0वि0,चम्पावत (उत्तराखण्ड)

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी
सदर, चम्पावत।

सेवा में,

अधिषासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
चम्पावत।

पत्र संख्या– /विविध–क्षतिपूरक वृक्षारोपण/2014, दिनांक 8.12.2014

विषयः– क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सिविल सोयम भूमि प्रस्ताव का प्रेषण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्रांक 1663/2सी दिनांक 17.11.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त के कम में पत्र के कमांक 1, 3 व 4 पर अंकित निम्नांकित मोटर मार्गों के सम्बन्ध में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि चयन कराकर, संलग्नानुसार प्रस्ताव मय नक्शा, खसरा एवं नकल खतौनी के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

योजना का नाम	याचित क्षेत्रफल	प्रस्तावित भूमि			
		ग्राम का नाम	भूमि की श्रेणी	खसरा नं0	क्षे0फ0
1–राज्य योजना के अन्तर्गत मंच बकोड़ा मोटर मार्ग लम्बाई 12 किमी0	15.00 16	1–हरतोला	9(3–ड0) बंजरकाबिल आवाद	791 793 1221 1731 1732 1733 1734 1735	6.334 3.746 6.532 1.978 3.619 7.618 3.063 2.735
2–अटल आदर्श ग्राम योजना अन्तर्गत चम्पावत–मंच तामली मोटर मार्ग के किमी0 47 से न्याय पंचायत सिमियांउरी तक लम्बाई 8 किमी0	9.00.00 10				
3–मा0 मुख्य मंत्री संयोजकता के अन्तर्गत बसौटी–रौकुंवर बिल्हैडी मोटर मार्ग लम्बाई 8.00 किमी0	11.432 10.595 11				
योग	35.432			8	35.625

संलग्नः– प्रस्ताव मय नक्शा, खसरा, नकल खतौनी के, उपरोक्तानुसार।

(हस्ताक्षर) 8.12.14
उप जिलाधिकारी
सदर, चम्पावत।

छाया प्रति प्रमाणित
(हस्ताक्षर)
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
चम्पावत (उत्तराखण्ड)